सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र मु.स. 38/2017 2017/00216

श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्री विकास गहलोत पुत्र श्री मालचन्द गहलोत जाति गहलोत (विक्रेता भागीदार) मैसर्स मालचन्द महावीर प्रसाद, आसोपा धर्मशाला के सामने, मैन बाजार, नापासर जिला बीकानेर
2. श्री मालचन्द गहलोत पुत्र श्री खिमीचन्द गहलोत (भागीदार) मैसर्सः मालचन्द महावीर प्रसाद आसोपा धर्मशाला के सामने, मैन बाजार, नापासर जिला बीकानेर
3. मैसर्स मालचन्द महावीर प्रसाद, आसोपा धर्मशाला के सामने, मैन बाजार, नापासर जिला बीकानेर
4. श्री श्याम सुन्दर बजाज पुत्र श्री नथमल बजाज (नोमिनी) मैसर्स के बी इण्डिया इन्टरनेशनल, प्लान्ट नं. 40 प्रथम फ्लोर, चाणक्य मार्ग, पथ नं. 7 करणी कॉलोनी सीकर रोड़, जयपुर प्रथम (राजस्थान) 303023
5. मैसर्स के बी इण्डिया इन्टरनेशनल, प्लान्ट नं. 40 प्रथम फ्लोर, चाणक्य मार्ग, पथ नं. 7 करणी कॉलोनी सीकर रोड़, जयपुर प्रथम (राजस्थान) 303023

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 26 उप धारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष – श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की ओर से – श्री आनन्द बजाज अधिवक्ता

–: निर्णय :–

दिनांक :– 20.09.2018

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली, खाध सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 27.04.2017 को अप्रार्थीपक्ष श्री विकास गहलोत पुत्र श्री मालचन्द गहलोत जाति गहलोत (विक्रेता भागीदार) मैसर्स मालचन्द महावीर प्रसाद, आसोपा धर्मशाला के सामने, मैन बाजार, नापासर जिला बीकानेर के यहां दुकान पर निरीक्षण दौरान 15 पोली पैक्ड थैली प्रत्येक 250 ग्राम चाय(मदर इण्डिया) आम जनता को विक्रय वास्ते रखा हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त 15 पोली पैक्ड थैली प्रत्येक 250 ग्राम में से 8 पोली पैक्ड थैली प्रत्येक 250 ग्राम चाय (मदर इण्डिया) वास्ते नमूना संग्रह हेतु उनके द्वारा बताये अनुसार कुल कीमत 400/– रूपये में खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी खासुअ, विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त चाय (मदर इण्डिया) के चार लेबल तैयार किये गये जिस पर कोड एवं क्रमांक एबी–868 अंकित कर तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना भाग (दो पोली पैक्ड थैलिया प्रत्येक नमूना भाग) पर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग चपडी से सील मोहर कर एक सीलयुक्त पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 11.05.2017 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें चाय (मदर इण्डिया) मिसब्राण्ड पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा चाय (मदर इण्डिया) मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से श्री आनन्द बजाज अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया। तद्न्तर उभय पक्ष का कथन सुना गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. प्रार्थी श्री महमूद अली, सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से चाय (मदर इण्डिया) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Tea (Mother India) bearing Code No. and Sr. No. AB-868 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 it is Contravene Regulation 2.2.2.(10) of FSS(Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां चाय (मदर इण्डिया) मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा विक्रत चाय में किसी प्राकर की कोई मिलावट न तो थी और न ही मिसब्राण्ड है तथा न ही स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कोई कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी को जांच रिपोर्ट की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी और ना ही अप्रार्थीगणों को जांच के संबंध में कोई नोटिस प्रेषित किया जिससे पुनः जांच करवाने से अप्रार्थीगण वंचित रहे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बनाये गये Regulation Packaging and Labelling Regulations 2011 के Regulations की गलत व्याख्या कर चाय को मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी कही यह अंकित नहीं है कि किस प्रकार चाय मिसब्राण्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा विक्रित चाय खाद्य सुरक्षा के मानक पूर्ण करती है किसी प्रकार के प्रावधानों का उल्लघंन नहीं किया गया था । इससे पूर्व अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस प्रकार का कोई मामला बनना नहीं पाया गया है। इसलिए उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए उक्त प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाते हुवे प्रकरण को निरस्त किया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

5. इसके विपरीत खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस का खण्डन करते हुवे बताया कि अप्रार्थी के यहां नियमानुसार कार्यवाही की जाकर चाय (मदर इण्डिया) का सैम्पल लिया गया जो मिसब्राण्ड पाया गया है। प्रार्थी निरीक्षक ने अप्रार्थीपक्ष को पुनः जांच करवाने हेतु पत्र क्रमांक 3081–83 दिनांक 01.06.2017 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किया गया है तथा फर्द रिपोर्ट पर दोनों ही गवाह स्वत्रंत है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अप्रार्थीगण द्वारा Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 it is Contravene Regulation 2.2.2.(10) of FSS(Packaging and Labelling) Regulation 2011 का उल्लंघन किया है। जिससे जांच रिपोर्ट में अप्रार्थी के यहां चाय (मदर इण्डिया) मिसब्राण्ड स्तर की पाई गई है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खादय सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाई गई चाय (मदर इण्डिया) की सैम्पलिंग रिर्पोट में चाय (मदर इण्डिया)मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खादय विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक L.S.956/Act 2017/1023 दिनांक 11.05.2017 की रिर्पोट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में में The sample of " Tea (Mother India) bearing Code No. and Sr. No. AB-868 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 it is Contravene Regulation 2.2.2.(10) of FSS(Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है। जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां चाय (मदर इण्डिया) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है।

7. इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के द्वारा क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पैक्ड चाय (मदर इण्डिया) (मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 (1) के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत **25,000/—** अखरे रूपये पच्चीस हजार की शास्ति आरोपित की जाती है।

8. अप्रार्थीगण 1 ता 5 द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली पैक्ड चाय (मदर इण्डिया) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) विनिर्माण,वितरण एवं विक्रय किया जिसके लिये वे समान रूप से धारा 26 (2) (II) में दोषी है। अतः आरोपित शास्ति रू. 25000/— अखरे पच्चीस हजार रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को समान रूप से दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 समान रूप से आरोपित राशि रूपये. 25,000/— का $^{1/5}$ शास्ति राशि यानि 5,000/—, 5,000/— रूपये प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 शास्ति राशि अदा करेगें।

9. इसके साथ—साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 20.09.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर एवं अप्रार्थी पक्ष संख्या 1 ता 5 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर सत्यमेव जयते

(ए.स्वांगीरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा) बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner